

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र, न्यायालय परिसर, टोंक (राज.)

Phone No.:-01432-294603, E-mail:legalaidtonk@gmail.com

क्रमांक :- 937

दिनांक :- 06/04/26

01. पीएलवी विज्ञप्ति आदेश क्रमांक 443 दिनांक 17 जनवरी 2026 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, टोंक को जिला न्यायालय, टोंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के निर्देश के साथ प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार सूचना



(दिनेश कुमार जलुथरिया)
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
टोंक (राज0)

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक

वैकल्पिक विवाद निस्तारण केन्द्र, न्यायालय परिसर, टोंक (राज.)
Phone No. :- 01432-243851, E-mail: legalaidtonk@gmail.com

क्रमांक : 443

दिनांक : 17/01/26

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक F 2()/DS-I/RALSA/2023/1766-1801 dated 17.01.2023 के निर्देशानुसार वर्ष 2026 हेतु पैरा लीगल वॉलंटियर्स के पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं—

क्रमांक	मुख्यालय का नाम	आवश्यक पीएलवी की संख्या
1	तालुका विधिक सेवा समिति, मालपुरा	1 (पंचायत समिति मालपुरा क्षेत्र)
2	तालुका विधिक सेवा समिति, निवाई	2 (पंचायत समिति निवाई क्षेत्र)
3	तालुका विधिक सेवा समिति, उनियारा	3 (पंचायत समिति उनियारा क्षेत्र)
4	तालुका विधिक सेवा समिति, देवली	3 (पंचायत समिति देवली क्षेत्र)
5	तालुका विधिक सेवा समिति, टोडारायसिंह	3 (पंचायत समिति टोडारायसिंह क्षेत्र)
6	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक	5
योग		17

- (1) शैक्षणिक योग्यता: आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।
- (2) आवेदन पत्र इस परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा।
- (3) परीक्षा: आवेदकों का प्रशिक्षण हेतु चयन करने के पश्चात उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा व प्रशिक्षण के पश्चात पी.एल.वी. की लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार लिया जाकर उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त पी.एल.वी. माना जाकर सफल घोषित किया जायेगा। सफल घोषित किये जाने के पश्चात उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रतीक चिन्ह होगा।
- (4) चरित्र: आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के सम्बंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- (5) शारीरिक योग्यता: आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।
- (6) आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावे :
 - 1- जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
 - 2- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
 - 3- दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
 - 4- आपेपन पत्र पर रचयन का हस्ताक्षरपुष्पत पारामोर्ट साइन का नवीनताग फोटो लगा होगा चाहिए।

5- जाति प्रमाण पत्र सत्यापित प्रति।

6- निवास स्थान के सत्यापन हेतु आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेजात की सत्यापित प्रति।

- (7) आवेदन की अन्तिम तिथि आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय तालुका विधिक सेवा समिति में (जिस मुख्यालय हेतु प्रार्थी आवेदन कर रहा है) दिनांक 13.02.2026 को कार्यालय समय शाम 4:00 बजे तक डाक अथवा व्यक्तिशः रूप से कार्यालय पर पहुंच जाना चाहिए। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

- (8) पात्रता: पी.एल.वी. चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शोर्टलिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। पी.एल.वी चयन हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के सम्बंध में भी सुनिश्चित किया जायेगा व महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। निम्नांकित व्यक्ति भी पी.एल.वी. चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

सेवानिवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एम.एस.डबल्यू, छात्र व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डाक्टर/फिजिशियन, विधि छात्र (जब तक वे लायर (वकालत) के लिए एनरोल न हो), गैर राजनीतिक सदस्य, एन.जी.ओ., क्लब्स महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह, शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो, अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति सक्षम व योग्य समझे।

चयनित पी.एल.वी. के कर्तव्य (ड्यूटी) :

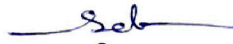
- 1- समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- 2- आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिए निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।
- 3- पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिए दूरभाष संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना।
- 4- पीडित व्यक्ति की समुचित देखभाल व द.प्र.सं. की धारा 357-ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना।
- 5- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- 6- बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना।
- 7- विवादों का सेटलमेन्ट, प्रिलीमिनेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, मीडिएशन के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
- 8- पी.एल.वी. द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति को उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।
- 9- पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा व अस्पताल सम्बन्धी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।

10- पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये मेटेरियल को प्रचार व प्रसार करना।

11- इसके अलावा समय- पर जारी निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित समस्त कार्य करना।

- (9) स्पष्टीकरण: यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों का अपने आवेदन पत्र में पी.एल.वी. के कार्य हेतु इच्छुक स्थान अंकित करना आवश्यक है। आवेदन पत्र में यह भी अंकित करना होगा कि आवेदक किस स्थान अर्थात् जिला स्तर पर या तालुका स्तर पर या गांव के स्तर पर पी.एल.वी. का कार्य करना चाहता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि चयनित पी.एल.वी. को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टॉक द्वारा समय समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जायेगा।
- (10) जिला मुख्यालय पर स्थित पंचायत समिति मुख्यालय को छोड़कर जिले की शेष पंचायत समितियों के लिए स्थानीय पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में निवासरत की शर्त की पालना करते हुए प्रत्येक पंचायत समिति के लिए (अलग-अलग गांव के निवासी हो) को पैनलित किया जावेगा। यदि स्थानीय निवासी ना मिले तो ही पड़ौसी की पंचायत समिति के निवासी पर विचार किया जावेगा। निवास स्थान का सत्यापन आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि का अवलोकन कर किया जावेगा।

नोट:- आवेदनकर्ता संलग्न प्रारूप में आवेदन करें।


सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
टोंक

क्रमांक : 445-471

दिनांक : 17/01/26

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक
3. नोटिस बोर्ड न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक
4. अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति मालपुरा/निवाई/उनियारा/देवली/टोडारायसिंह
5. जिला कलेक्टर, टोंक
6. कार्यापालक मजिस्ट्रेट टोंक/मालपुरा/निवाई/उनियारा/टोडारायसिंह/देवली/दूनी/पीपलू
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
8. विकास अधिकारी, पं.सं. टोंक/मालपुरा/निवाई/उनियारा/देवली/टोडारायसिंह
9. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, टोंक
10. अधीक्षक, जिला कारागृह, टोंक
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् टोंक
12. अधीक्षक जिला कारागृह टोंक
13. समस्त स्वयंसेवी संगठन/सामाजिक सेवा संस्थान, टोंक


सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
टोंक

पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पी.एल.वी.) के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का

1- नाम आवेदक	:—		अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो
2- पिता/पति का नाम	:—		
3- आवेदक के पति/पत्नी का नाम	:—		
(यदि विवाहित है तो)			
(यदि आवेदक अविवाहित है तो स्पष्टतः “अविवाहित” लिखें)			
4- जाति	:—		
5- संवर्ग-सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./	:—		
6- स्थायी पता मय दूरभाष/मोबाईल नं.	:—		
मेल आईडी	:—		
7- वर्तमान पता	:—		
8- निकटतम पुलिस स्टेशन	:—		
9- जन्म तिथि (अंकों में)	:—		
(शब्दों में)	:—		
वर्तमान आयु	:—		
10- शैक्षणिक योग्यता	:—		
11- यदि आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी	:—		
है, तो किस पद से सेवानिवृत्त हुए			
12- आवेदक के विरुद्ध कोई फौजदारी	:—		
प्रकरण लंबित है अथवा नहीं यदि है			
तो पूर्ण विवरण			
13- राष्ट्रीयता	:—		
14- आवेदक पीएलवी के रूप में	1. टोंक मुख्यालय	2. तालुका मुख्यालय	
स्वेच्छा से कार्य करने हेतु तैयार है :	3. गांव		
15- आवेदक वर्तमान में किसी संस्था,	:—		
N.G.O. या किसी विशेष ग्रुप से जुड़ा है तो उसका विवरण लिखें			

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है।

संलग्न सत्यापित दस्तावेज:-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

दिनांक :

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)